


2017/00428

तारीख हुकम	हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री इस्माईल मूगल निवासी गैरसरियों का मोहल्ला फड बाजार, बीकानेर : ब ना म : सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 240/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.12.17	<p style="text-align: center;">: निर्णय :</p> <p>1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। सहायक लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र दिनांक 16.08.17 में अंकित किया है कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर से सूचना चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलवाई जावे।</p> <p>3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 4494 दिनांक 06.11.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि बिन्दू संख्या 1 व 2 की सूचनाएं व्यक्तिगत होने के कारण दी जाना संभव नहीं है। बिन्दु संख्या 3 में चाही गई सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करवादी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</p> <p>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू-अभिलेख), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलान्त को प्रेषित की गई सूचना के विपरीत अपीलान्त की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी सूचना से संतुष्ट है।</p> <p>5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।</p> <p>6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफतर हो</p> <p style="text-align: center;"> (अनिल गुप्ता) प्रथम सूचना अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर, बीकानेर</p>	